U;k;ky; HkkicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo
vihy ikf/kdkjh chdkusj
Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 49@2017

1. कुमारी पुजा पुत्री श्री रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी लादडिया उम्र 10 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली माला श्रीमती सविता पत्नी स्व0 रघुवीरसिह जाति जाट निवासी गांव लादडिया तहसील व जिला चूरू हाल थालोडी तहसील व जिला चूरू ।
2. श्रीमती सविता उपनाम सुभिता पत्नी स्व0 रघूवीरसिह जाति जाट निवासी गांव लादडिया तहसील व जिला चूरू हाल थालोडी तहसील व जिला चूरू ।

vihykVl

cuke

1. रामलाल उर्फ रामूराम पुत्र स्व0 रावताराम जाति जाट निवासी गांव लादडिया तहसील व जिला चूरू ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू जिला चूरू ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय नोहर जिला हनुमानगढ ।

&jLiksM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री हीरालाल अधिवक्ता अपीलांट्

2. श्री मंगलसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.06.06 16:57:29 IST
Reason: SelfAttested

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh : ftyk p: d
fu.k; fnukd 02-06-17 ds fo:} vihy
vUrxr /kkjk 225 jktLFkku dk".kdkjh vf/kfu;e 1955

fu.kZ; दिनांकः—25.08.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 02.06.2017 के विरूद्व पेश हुई है । अपीलांट ने वादगत कृषि वर्तमान ख0न0 83 रकबा 64.13 बीघा, ख0न0 109 रकबा 4.18 बीघा, ख0न0 422/360 रकबा 3.03 बीघा, ख0न0 361 रकबा 6.00बीघा, ख0न0 356/386 रकबा 0.05 बीघा कुल किता 5 तादादी 79.04 बीघा वाके रोही ग्राम लादडिया तहसील चूरू जिला चूरू में स्थित है ।

3. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि वादगत कृषि वर्तमान ख0न0 83 रकबा 64.13 बीघा, ख0न0 109 रकबा 4.18 बीघा, ख0न0 422/360 रकबा 3.03 बीघा, ख0न0 361 रकबा 6.00 बीघा, ख0न0 356/386 रकबा 0.05 बीघा कुल किता 5 तादादी 79.04 बीघा वाके रोही ग्राम लादडिया तहसील चूरू जिला चूरू में स्थित है । अपीलांट के पूर्वज स्व0 रावताराम की एक दुसरी कृषि भूमि ख0न0 81,82,83 व 106 रकबा क्रमशः 0.316, 6.829, 6.323 व 5.261 बीघा वाके रोही ग्राम कालसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ में स्थित है । जिसके वर्तमान ख0न0 106 रकबा 2.630 बीघा, ख0न0 106/1 रकबा 2. 631 बीघा, ख0न0 83/2 रकबा 0.961 बीघा, ख0न0 82 रकबा 1.720 बीघा, ख0न0 82/1 रकबा 2.719 बीधा, ख0न0 82/2 रकबा 2.390 बीघा एवम ख0न0 81 रकबा 0.316 बीघा है । जिसमें बाहमी बंटवारा अनुसार ख0न0 83 रकबा 2.681 रेस्पो0 सं0 1 के नाम खातेदारी अंकित है । जिसमें अपीलांट की भी नामान्तरकरण सं0 75 के अनुसार ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार है । रेस्पो0 सं0 1 रामलाल उर्फ रामुराम के एक मात्र पुत्र रघुवीरसिंह थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 19.12.16 को हो चुका है व अपीलांट श्रीमती सविता देवी उनकी पत्नी है व रेस्पो0 सं0 1 की पुत्र वधु तथा अपीलांट सं01 कुमारी पुजा स्व0 रघुवीरसिंह की पुत्री व रेस्पो0 सं0 1 की पोत्री है । अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि है । जिसमें रेस्पो0 के साथ अपीलांट की ब0हि0ब0 के खातेदार है लेकिन राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से रेस्पो0 सं0 1 का नाम जमाबंदी में दर्ज कर दिया जबकि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण रेस्पो0 सं0 1 के साथ ही अपीलांट सं0 2 के पति व [illegible] सं0 1 के [illegible] स्व0 रघुवीर सिह की सखातेदारी काश्तकार थे व उनके स्वर्गवास होने के कारण अपीलांट रामलाल के साथ सहखातेदार काश्तकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार है । [illegible] पिता रघुवीरसिंह पुत्र रामलाल कि अकेली पुत्री संतान है जिनके पिता रघुवीर सिह का मृत्यु उपरांत स्व0 रघुवीर सिंह के हिस्से की कृषि भूमि की विरासतन खातेदार दर्ज हो चुकी है । अपीलांट कुमारी पुजा के पिता रघुवीरसिह का मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.06.06 16:57:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाण पत्र, अपीलांट का राशनकार्ड, आधार कार्ड, विघालय प्रमाण पत्र व उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र में अपीलांटा कुमारी पुजा के पिता का नाम रघुवीरसिह दर्ज है जो दस्तावेजात से प्रमाणित है । इस प्रकार अपीलांटा पुजा इस कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार कानूनन हो चुकी है । अधिनस्थ न्यायालय में दावा का कोई जवाब दावा रेस्पो0/प्रतिवादी रामलाल द्वारा पेश नही किया गया है । अपीलांटा कुमारी पुजा नाबालिग है जो अपने ननीहाल में रहती है व अध्ध्यन करती है । जिसे अधिवक्ता द्वारा सुचना नही देने के कारण वह अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हो पाई व अपने साक्ष्य नही पेश कर पाई इसलिये साक्ष्य बंद कर दिया गया व साक्ष्य वादी नही होने के कारण अपीलांटा का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया गया है । इस प्रकार अपीलांटा नाबालिग पुजा को सुनवाई का न्याय हित में साक्ष्य का एक अवसर नही दिया गया व दिनांक 02.06.2017 को अपीलांटा की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का अवसर दिये ईकतरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरित है । पत्रावली में पेश दस्तावेजो से वादी का वाद प्रमाणित था व प्रतिवादी ने भी कोई साक्ष्य पेश कर दस्तावेजी साक्ष्यो का खंडन नही किया है । इस प्रकार तमाम तथ्यों के आधार पर दावा प्रमाणित होते हुऐ भी अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से वाद खारिज कर दिया जो विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वांतो के विपरित है । जिसे खारिज कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

4. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा एक दावा धारा 78,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 13.01.2008 को अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जो अपीलाट/वादी को सुनवाई व साक्ष्य सबुत पेश करने के बार बार अवसर दिये जाने के पश्चात भी उपस्थित नही होने पर दिनांक 13.05.16 को खारिज कर दिया गया जो अपीलांट/वादी दावा रिस्टोर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 10.08.16 को पत्रावली पुनः पेशी पर ली गयी जो दिनांक 02.06.17 को असिमित अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्य वादी पेश नही किये जाने पर दावा प्रमाणित नही होने पर दावा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया । अपीलांट सं0 2 ने अपने पति की मृत्यु उपरांत अन्यंत्र शादी कर ली है व अपीलांट सं0 1 के दादा रेस्पो0 सं0 1 के नाम जो भी कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित है वो विरासतन प्राप्त [illegible] अपीलांट सं0 1 को भी भूमि जरिये विरासतन ही प्राप्त होगी । रेस्पो0 [illegible] जीवित रहते हुऐ किसी भी वारिस को भूमि जरिये दावा नही दी जा सकती है अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5. हमने अपीलांट/रेस्पो0 पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । अपीलांट/वादीनी अपने पिता रघुवीरसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:57:29 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र रामलाल कि अकेली पुत्री संतान है जिनके पिता रघुवीर सिंह का मृत्यु उपरांत स्व0 रघुवीर सिंह के हिस्से की कृषि भूमि की विरासतन खातेदार दर्ज हो चुकी है । अपीलांट कुमारी पुजा के पिता रघुवीरसिह का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपीलांट का राशनकार्ड, आधार कार्ड, विघालय प्रमाण पत्र, स्व0 रावताराम का कुर्सीनामा व उपखण्ड अधिकारी चूरू द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र में अपीलांटा कुमारी पुजा के पिता का नाम रघुवीरसिह दर्ज है जो दस्तावेजात से प्रमाणित है । रेस्पो0 सं0 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादी द्वारा दावे में पेश दस्तावेजी साक्ष्यों का खंडन नही किया व ना ही जवाब दावा पेश किया है जिससे सिद्व होता है कि रेस्पो0 को दावे के तथ्य स्वीकार थे । अधिनस्थ न्यायालय में वादी सं0 2 /अपीलांट सं0 1 जो नाबालिग है और अपने ननीहाल में रहती है जिसे वकील वादी द्वारा सुचना नही देने के कारण साक्ष्य नही करवाई जा सकी जिसके कारण वादीगण का दावा चलने योग्य नही मानते हुऐ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है । अपीलांट/वादीनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो से भलीभांती प्रतीत होता है कि वो रघुवीर पुत्र रामलाल की अकेली पुत्री संतान है तथा दादा की पुश्तैनी जायदाद में पोती का हक स्वतः ही उत्पन हो जाता है जिससे अपीलाटा विरासतन कृषि भूमि में बहिस्सा बराबर की हकदार है ।

6. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि दोनो पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कराते हुऐ पुनः निर्णय पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

7. निर्णय आज दिंनाक 25.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkw izcU/k vf/kdkjh ,oa
inu jktLo vihy izkf/kdkjh
pw:
pw: Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:57:29 IST
Reason: SelfAttested